उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग-9
संख्या-20/2016/पी- 273/अड़तीस-9-16-09(बजट)/14
लखनऊ : दिनांक- 31 मार्च, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या-13** के अन्तर्गत निम्नवत् तालिका के कालम-2 में अंकित लेखा शीर्षक के मानक मद में हो रही बचत रू0 1,29,70,98,467.00 (रूपये एक अरब उन्तीस करोड़ सत्तर लाख अठ्ठानबे हजार चार सौ सरसठ मात्र) तथा रू0 6,48,06,33,332.00 (रूपये छः अरब अड़तालिस करोड़ छः लाख तैतीस हजार तीन सौ बत्तीस मात्र), कुल बचत रू0 7,77,77,31,799.00 (रूपये सात अरब सतहत्तर करोड़ सतहत्तर लाख इक्कतीस हजार सात सौ निन्यानबे मात्र) जिसका विवरण कालम-3 में है, को पुनर्ग्रहण हेतु वित्त विभाग को समर्पित किया जाता है:-

आयोजनागत पक्ष **(धनराशि रूपये में)**

क्रं0सं0	**लेखा शीर्षक के विवरण**	**बचत/ समर्पित धनराशि**
1	5054-सड़कों तथा संतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण (के.100/रा.0-के.)-24 वृहत निर्माण कार्य।	**1297098467**
2	5054-सड़कों तथा संतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-02-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)-0201-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-2 के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण (के0-75/रा-25-के0+रा)-24-वृहत निर्माण कार्य।	**6480633332**
कुल योग-		**7777731799**

ओम प्रकाश तिवारी
अनुसचिव।

वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
संख्या- यू0ओ0-ई-2- (1) /दस-2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपिः- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपर्युक्त धनराशि रू0 7,77,77,31,799.00 (रूपये सात अरब सतहत्तर करोड़ सतहत्तर लाख इकतीस हजार सात सौ निन्यानबे मात्र), की बचत वित्त विभाग द्वारा पुनर्ग्रहण कर ली गयी है।

आज्ञा से,

राम किशोर पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9
संख्या-20/2016/ पी-273 (1)/अड़तीस-9-2016 तद् दिनांक।
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
6- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- गार्डबुक।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in